गुरू घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site – www ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क्र.20../अका./शोध/शिक्षा /2021 बिलासपुर, दिनॉक 05 APR 2021

प्रति,

अश्वनी कुमार मिश्रा (शोधार्थी) (पंजीकृत डाक द्वारा)
शिक्षा विभाग,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 19–12–2020 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) शिक्षा, विद्यापीठ–शिक्षा में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:–

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
शिक्षक प्रशिक्षकों की सेवा संतुष्टि एवं शिक्षण अधिगम प्रकिया का छात्राध्यापकों की अधिगम संतुष्टि के मध्य सहसम्बन्धात्मक अध्ययन		डॉ0 सुनील कुमार सेन सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग,गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ.ग.)	
शोध केन्द्र	पंजीयनकमॉक	पंजीयनतिथि	नामांकनकमॉक
शिक्षा विभाग (विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ. ग.)	185034504	19/12/ 2020	GGV/18/8383

1 आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्यकरेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन **R-11 के** अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवदेन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध–पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

कमशः

2 यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 **अधीन रहेगा।**

3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/–(परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।

4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।

5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम–2018 के अधीन होगा । अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम–2018 के प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें ।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)

कमांक 21 /अका0/शोध/शिक्षा /2021

बिलासपुर, दिनॉक– 05 APR 2021

प्रतिलिपिः–

1 शोध निर्देशक डॉ0 सुनील कुमार सेन, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

2 विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।

3 सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

4 ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

5 विभागाध्यक्ष,संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड किये गये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित।

6 संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव(अका.)
गुरू घासीदासविश्वविद्यालय,
बिलासपुर(छ.ग.)